राजधानी के बिरला मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां की जा रही हैं। इनसेट में बाजार का लड्डू गोपाल का विग्रह निहारती हुई युवती।

फर्जी आईएएस बनकर ठगी के आरोप में तृप्ति सिंह पर चौथी एफआईआर

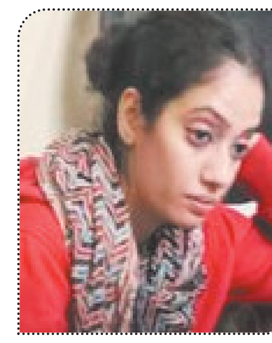

- पर्यटन विभाग का होटल लीज पर दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने का आरोप
- भोपाल पुलिस लेगी प्रोडक्शन रिमांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः खुद को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में अतिरिक्त निदेशक बताने वाली तृप्ति सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है। बागसेवनिया थाना पुलिस ने पर्यटन विभाग का होटल लीज पर दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी के आरोप में तृप्ति सिंह, उसके भाई सुधांशु सिंह और साथी प्रखर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यह तृप्ति के खिलाफ दर्ज चौथा मामला है।

सिवनी निवासी 31 वर्षीय गगन उपवंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपितों ने उसे पर्यटन विभाग का होटल लीज पर दिलाने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि विश्वास में लेकर उससे 50 लाख रुपये ले लिए गए, लेकिन काफी समय बाद भी होटल लीज पर नहीं मिला। जानकारी जुटाने पर गगन को पता चला कि तृप्ति आईएएस अधिकारी नहीं है। इसके बाद उसने 28 अगस्त को थाने में आवेदन दिया था। करीब पांच दिन की जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।

तृप्ति सिंह फिलहाल अशोकनगर जेल में बंद है। बागसेवनिया पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लाने की कार्रवाई कर रही है। रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी।

बागसेवनिया थाने में तृप्ति और उसके साथियों के खिलाफ पहले भी 39.17 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज है। बालाघाट जिले के एक युवक ने आरोप लगाया था कि तृप्ति ने खुद को प्रशिक्षु आईएएस और पर्यटन विकास निगम का अतिरिक्त निदेशक बताकर होटल-रिसॉर्ट लीज पर दिलाने तथा नौकरी लगवाने का झांसा दिया था।

पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2025 में तृप्ति अपने भाई और साथियों के साथ चंदेरी पहुंची थी। वहां भी खुद को पर्यटन विकास निगम का अधिकारी बताकर कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देने और रुपये लेने के आरोप सामने आए थे।

पटेल ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्तुत समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। मंत्री पटेल ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी और प्रभावी निराकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

व्यापारियों ने निकाली व्यापार की अर्थी, बड़े प्रतिष्ठान भी रहे बंद

सीलिंग कार्रवाई के विरोध में कोलार बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में बुधवार को कोलार क्षेत्र का बाजार पूरी तरह बंद रहा। कोलार व्यापारी महासंघ के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानों के शटर नहीं खोले। कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहे।

इस बंद में डी-मार्ट, वी-मार्ट, विशाल मेगामार्ट और शराब दुकानें भी शामिल रहीं। हालांकि मेडिकल दुकान और पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई। व्यापारियों ने दोपहर में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापार की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली। महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई गलत है। इससे व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

व्यापारियों का कहना है कि वे निगम को व्यावसायिक कर दे रहे हैं और दुकानों में व्यावसायिक बिजली कनेक्शन भी हैं, इसके बावजूद कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की।

इधर, नगर निगम की ओर से तीसरे दिन भी प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई जारी रही। अब तक करीब 170 प्रतिष्ठान बंद कराए जा चुके हैं। कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने मंगलवार को भी थाली और मंजीरा बजाकर प्रदर्शन किया था। बंद के दौरान करणी सेना परिवार के पदाधिकारी भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से बंद में सहयोग करने की अपील की। वहीं, कुछ रहवासियों ने भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा।

शांति-गया साहित्य, कला एवं खेल संवर्द्धन समिति के वार्षिक सम्मानों की घोषणा

- 200 से अधिक पुस्तकों के मूल्यांकन के बाद साहित्य कला और खेल क्षेत्र की प्रतिभाओं का चयन

नप्र, भोपाल :शांति-गया साहित्य, कला एवं खेल संवर्द्धन समिति ने अपने छठवें वार्षिक सम्मानों की घोषणा कर दी है। समिति की अध्यक्ष कांति शुक्ला 'उर्मि' ने बताया कि इस वर्ष 200 से अधिक पुस्तकों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं, जिनका मूल्यांकन तीन चरणों में किया गया।

उपन्यास विधा में आचार्य राजेश कुमार और आशा पांडेय को संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। लघुकथा में शर्मीला चौहान और मनोरमा पंत तथा बाल साहित्य में डॉ. मालती बसंत और पद्मा चौगांवकर का चयन किया गया है। शिखर सम्मान के लिए जयपुर के प्रबोध गोविल का चयन किया गया है। वहीं दिनेश कुमार माली को विशेष सम्मान देने की अनुशंसा की गई है। कला क्षेत्र में हिदायत खान और सुधीर पंडया तथा खेल क्षेत्र में हॉकी ओलिंपियन अशोक कुमार और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जीएल यादव को सम्मानित किया जाएगा। खेल लेखक सम्मान के लिए हरीश हर्ष का चयन किया गया है। समिति ने सभी चयनित प्रतिभाओं को बधाई दी है।

मानस भवन में आज मनेगा रक्षाबंधन महोत्सव

नप्र, भोपाल : दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवानदास सबनानी द्वारा क्षेत्र की बहनों के साथ मानस भवन में दोपहर 2 बजे से रक्षाबंधन महोत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन महोत्सव को लेकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र की बहनों में काफी उत्साह है। वह अपने प्रिय भाई विधायक भगवानदास सबनानी को राखी बांधकर अपनी शुभकामनाएं देंगी।

विधायक सबनानी ने क्षेत्र की समस्त बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए गुरुवार को मानस भवन में 2 बजे आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि अटूट विश्वास का यह पर्व हम सभी को एक बंधन में बांधकर सदैव एक दूसरे की रक्षा करने का और अपने वचनों को निभाने का अवसर प्रदान करता है।

दिलीप सिंह मानव अधिकार आयोग मित्र नामांकित

नप्र, भोपाल :मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह को झाबुआ जिले के भौगोलिक क्षेत्र के लिए आगामी दो वर्षों के लिए आयोग मित्र, स्वयंसेवी के रूप में नामांकित किया है। इस संबंध में आयोग के शोध अधिकारी द्वारा 2 सितंबर को आदेश जारी किया गया। आयोग मित्र के रूप में दिलीप सिंह मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों में आयोग का सहयोग करेंगे।

सेवा भारती परिसर में पौधारोपण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सेवा भारती, गोविंदपुरा भोपाल परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सेवा भारती प्रमुख भोपाल करन कौशिक ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अन्ना मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, गोविंदपुरा के डॉ. अनूप गोयल, विमल त्यागी, लोकेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती शालिनी, श्रीमती मीनू आर्य एवं अधिवक्ता एम. रवि उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। साथ ही रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल और उनके संरक्षण का भी संकल्प दोहराया गया। आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और अधिक से अधिक पौधारोपण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

बीआरसी और एपीसी के 525 रिक्त पदों पर होगी चयन परीक्षा

- 25 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू
- अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में घोषित होगा परिणाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकासखंड स्रोत समन्वयक और सहायक परियोजना समन्वयक के करीब 525 रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। इन पदों के लिए विभागीय शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन का अवसर मिलेगा।

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर चयन प्रक्रिया की शर्तों की जानकारी दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर से जिलों में आवेदन लिए जाएंगे, जबकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की योजना है।

प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में विकासखंड स्रोत समन्वयक के पद भरे जाएंगे। वहीं प्रत्येक जिले में औसतन चार सहायक परियोजना समन्वयक पदों के आधार पर करीब 220 पदों पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अलग से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

चयन प्रक्रिया की शर्तों में उच्च पद प्रभार पर कार्यरत व्याख्याताओं और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पात्रता से बाहर रखा गया है। इस निर्णय का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है।

शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र भेजकर मांग की है कि मूल पद के साथ उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे शिक्षकों को भी बीआरसी और एपीसी पदों की परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए। संगठन का कहना है कि ऐसे शिक्षक लंबे समय से शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्व निभा रहे हैं, इसलिए उनके सेवा अनुभव को पात्रता निर्धारण में मान्यता मिलनी चाहिए।

घर में अकेले युवक ने फांसी लगाकर दी जान

नप्र, भोपाल :अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सेमरा इलाके में मंगलवार रात 20 वर्षीय श्रीकांत पटेल का शव घर में फंदे पर लटका मिला। घटना के समय श्रीकांत घर में अकेला था। उसकी मां पड़ोस में गई थीं, जबकि पिता फैक्ट्री में ड्यूटी पर थे। मां के वापस लौटने पर घटना की जानकारी मिली। परिजनों ने पड़ोसियों और मकान मालिक को बुलाया, जिसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रीकांत कारपेंटरी का काम करता था और परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिता ने बताया कि सुबह उनकी श्रीकांत से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटे ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था और उन्हें आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL

No./1053/building/e-tender/2026 Bhopal, Dated 02.09.2026

NOTICE INVITING E-TENDERS

मण्डल मुख्य प्रशासनिक भवन एवं संधारण कार्यालय में सिविल संधारण कार्य हेतु सिविल सामग्री क्रय करने के कार्य की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की विस्तृत शर्तें www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध हैं। ई-निविदा प्रकाशन उपरान्त निविदा में कोई संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-टेण्डर पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा।

म.प्र. माध्यम/127844/2026 सचिव

कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)

क/पुअ/राज/रनि/एमटी/144-A/2026 दिनांक 31.08.2026

निविदा विज्ञप्ति (प्रथम निविदा आमंत्रण)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इकाई राजगढ़ के शासकीय वाहनो में आवश्यकतानुसार टायर / बैट्री कय की निविदा दिनांक 15/09/2026 को 12:00 बजे तक इच्छुक फर्मो की सूची पंजीकृत किया जाना है। इच्छुक फर्म / संस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन इकाई में सूचीबद्ध/पंजीकृत हो सकते है।

-: निविदा की शर्तें :

01	फर्म को राज्य शासन द्वारा अधिकृत पात्र और सक्षम फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तथा फर्म की दुकान/कार्यालय राजगढ़ में होना अनिवार्य है।
02	निविदाकर्ता फर्म का वार्षिक टर्नओवर 01 करोड से कम नहीं होना चाहिये ।
03	फर्म को किसी Gov./Semi Govt./Organisations या PSU द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिये ।
04	उक्त निविदा में Yokohama/Apollo/MRF/Bridgeston उत्पादन कंपनी के Authorized डीलर/Authorized सब-डीलर शामिल हो सकते है, एवं बैट्री यदि कोई कंपनी अग्रलिखित तालिका के अनुसार टायर साईज के टायर नहीं बनाती है तो इस विषय में निविदा विभागीय क्रय समिति की स्वीकृति पर ही स्वीकार की जावेगी।
05	बिना कारण बताये निविदा पूर्णतः स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ को होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जायेगा ।
06	फर्म (निविदाकर्ता) द्वारा अपना जो भी विवरण निविदा के साथ उल्लेख किया जायें वह स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर भय सील के अभिप्रमाणित कर लेख किया जायें।
07	आवश्यकतानुसार सामग्री का प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा, कार्यादेश जारी होने के 02 दिवस के अंदर टायर ट्यूब एवं बैट्री उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
08	सामग्री के मापदण्ड में विभाग की आवश्यकता, परिस्थिति एवं उपयोगिता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता हैं।
09	निविदा के सभी प्रपत्र मय सील के हस्ताक्षरित कर निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है।
10	प्रदाय आदेश के पूर्व अनुबंध तैयार कर उपलब्ध कराना होगा और साथ में 50,000/- रू0 की डीडी/एफडीआर पुलिस वेलफेयर फंड राजगढ़ के नाम से तैयार कराकर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि गारंटी के रूप में उपलब्ध कराना होगा, जो कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित फर्म को वापस की जावेगी। कार्य में विवाद होने की स्थिति में उक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि इकाई के खाते में जमा कराये जाने की कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ को होगा ।
11	एम.टी. शाखा पुलिस लाईन राजगढ़ में इच्छुक फर्म उपस्थित होकर निविदा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती है एवं पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट WWW.mppolice.gov.in से निविदा एवं विस्तुत जानकारी डाउनलोड की जा सकती है।

(अमित सुरेश तोलानी)
पुलिस अधीक्षक, जिला राजगढ़

जी-18057/26

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल

(तुलसी नगर भोपाल दूरभाष कमांक 0755-2778106)

क/सांदीपनि/प्रयोगशाला किट/निविदा/2026/5002 भोपाल दिनांक 01/9/26

ई-निविदा सूचना

भोपाल संभागातर्गत 25 सांदीपनि विद्यालयों की आवश्यकतानुसार भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान प्रयोगशाला किट कय की ई-निविदा (TENDER ID2026_DPI_532764_1) https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से आमंत्रित की गई है। निविदा संबंधी कार्यवाही की समय-सीमा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	गतिविधि	दिनांक	समय
1	एम.पी. टेंड्रर्स पर निविदा भरने की	02.09.2026	प्रातः 12.00 से
2	प्री-बिड बैठक	08.09.2026	प्रातः 11.30 से
3	तकनीकी बिड	30.09.2026	दोपहर 3.00 बजे
4	सेम्पल परीक्षण	30.09.2026	प्रातः 12.00
5	वित्तीय बिड	01.10.2026	-
6	कार्यादेश जारी	04.10.2026	-
6	विद्यालय में सामग्री उपलब्ध कराने की अंतिम दिनांक	31.10.2026	-

धमेन्द्र शर्मा
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल

जी-18052/26

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कलां तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क. 0108.अ-12/2026-27

ग्राम नाम बावडिया कलां

सूचना-पत्र

प्रति, 1 श्री सुमितचंद्र जैन/पुष्पा जैन 7/3 संजय कॉम्प्लेक्स माता मंदिर के पास जिला भोपाल मो.: 8989439313 2 श्री जयदीप जुनेजा/कविता जुनेजा ई-7/831 अरेरा कॉलोनी भोपाल मो.: 9300096116 3 संदीप श्रीवास्तव बावड़िया बधीरा अपार्टमेंन्ट मो.: 9826056007 4 जयश्री मनवानी ई-1/152 अरेरा कॉलोनी 5 रामप्रकाश अवस्थी पिता श्री आर.एस. अवस्थी प्रकाश डेवलपर्स फ्लोर 3 प्रेस कॉम्प्लेक्स एमपी. नगर भोपाल 6 विकास कुंज गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अध्यक्ष श्री अरुण मिश्रा /चिंतामणि शर्मा मो.: 9826086166 7 सिंचाई विभाग 8 सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण । **विषयः**-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि श्री हरवंश सिंह जज पिता श्री साधू सिंह निवासी ई-7/77 अरेरा कॉलोनी भोपाल द्वारा ग्राम- बावडिया कलां प.ह.नं-मे स्थित खसरा नंबर. क्रमांक. 10/3/4 रकबा. क्रमांक 0.8090 हेक्टर भूमि कुल रकबा 0.8090 हेक्टयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 09/09/2026 को समय प्रातः 12:30 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 31/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार भोपाल

1481

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कलां तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क. 0107.अ-12/2026-27

ग्राम नाम बावडिया कलां

सूचना-पत्र

प्रति, 1. श्री हरवंश सिंह जज पिताश्री साधू सिंह निवासी ई-7/77 अरेरा कॉलोनी भोपाल 2. पारस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तेजा सिंह मूलचंदानी कार्यालय 243 जोन 1 एमपी नगर भोपाल। 3. विकास कुंज गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अध्यक्ष श्री अरुण मिश्रा 9826086166 4. सिंचाई विभाग भोपाल 5 पारस मजेस्टिक रेजीडेंस वेलफेयर सोसाइटी भोपाल द्वारा अध्यक्ष को सूचनार्थ 6 सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण। **विषयः**-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदक श्री हरवंश सिंह जज पिता श्री साधू सिंह निवासी ई-7/77 अरेरा कॉलोनी भोपाल द्वारा ग्राम बावडिया कलां प.ह.नं-18 में स्थित खसरा नंबर. क्रमांक 10/3/6 रकबा क्रमांक 0.8090 हेक्टयर भूमि कुल रकबा 0.8090 हेक्टयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तूत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 09/09/2026 को समय प्रातः 1:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि प्रवामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे कराया जा सकता है। आज दिनांक 31/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार भोपाल

1480